भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3064

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेद का प्रचार

3064. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद को घर-घर तक पहुंचाने के सरकार के अभियान को देश के 4.7 लाख से भी अधिक समर्पित स्वयंसेवकों का समर्थन प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये स्वयंसेवक सम्पूर्ण देश में किस प्रकार का अभियान चला रहे हैं;

(ग) क्या हाल ही में आयोजित नौवें आयुर्वेद दिवस समारोह में इस पहल के लॉन्च के बाद से इसमें काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सरकारी, रक्षा और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित देश के प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकार ने 9वें आयुर्वेद दिवस (दिनांक 29 अक्टूबर, 2024) पर "देश का प्रकृति परीक्षण अभियान" नामक एक अभियान शुरू किया। यह अभियान दिनांक 26 नवंबर, 2024 से शुरू होकर 25 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें छात्रों, शिक्षकों, आयुर्वेद चिकित्सकों और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सहित समर्पित स्वयंसेवकों की सहायता से एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक नागरिक की प्रकृति का आकलन करने की परिकल्पना की गई है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सकारात्मक स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करना है।

10 दिसंबर 2024 तक, लगभग 1.38 लाख स्वयंसेवकों ने 18 वर्ष से अधिक आयु के 26 लाख भारतीय नागरिकों की प्रकृति का मूल्यांकन किया है।

(घ) और (ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवा के उपयोग पर विचार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती है। हालांकि, आयुष मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और आयुर्वेद सहित आयुष पद्धति के संवर्धन और समग्र विकास के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। एनएएम के तहत, एनएएम दिशानिर्देशों के

प्रावधानों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त उनके प्रस्तावों के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (डीजीएएफएमएस) और रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के तहत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में आयुर्वेद को एकीकृत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापनों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के तहत कुल 48 आयुर्वेद इकाइयों को शुरू किया गया हैं; जिनमें से डीजीडीई के तहत विभिन्न छावनी क्षेत्रों में 36 छावनी बोर्ड अस्पताल/औषधालय और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के तहत 12 सैन्य अस्पताल हैं।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इस योजना के तहत नामांकित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आयुर्वेद सहित व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रही है। वर्तमान में कुल 102 निजी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा संगठन सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध हैं, जिसमें डे केयर सेवाओं के लिए 55 निजी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा संगठन और इन-पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं (आईपीडी) के लिए 47 निजी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा संगठन शामिल हैं।

*****